न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 57/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 10.07.2024

प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम जाति ढालाई निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथप्रसाद जाति रैगर निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
4. उप पंजीयक, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर आमेर

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री मोहनलाल जाट – वादी की ओर से
(2) श्री श्याम सुंदर खण्डेलवाल – प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक:– 27.02.2026

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर मे स्थित आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या नया 248 पुराना 239 हाल खसरा न. 841/3 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि मे वादी का हिस्सा 27/32 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल [illegible] प्रकार उक्त भूमि पर वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 [illegible] होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है [illegible] वर्णित कृषि भूमि [illegible] आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजि[illegible] के नाम से संबोधित कि[illegible]या। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 सहकाश्तकार है, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के मन में खोट आ जाने

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के कारण एव वादी को परेशान करने की गरज से वादी को एलानिया धमकी देते है कि वह बिना विभाजन कराये सामलाती काश्त की भूमि का बेचान सोसायटी या अन्य व्यक्तियों को कर देगें जो उक्त भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डो मे विभक्त कर कॉलोनी काट देंगे एवं जबरिया रूप से वादी को कब्जे कास्त कि भूमि से बेदखल कर देगे ऐसी अवस्था मे विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि का बेचान का इरादा कर रखा है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने दिनांक 03.07.2024 को वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि की अजनबी व्यक्तियों को सीमायें बताने लगे तब वादी ने जानकारी की तो मालूम चला कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने एंव भूमि पर निर्माण कार्य करवाने पर आमाद है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी की सामलाती भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डो में विभक्त कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर देगे। वाद कारण दिनांक 03.07.2024 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अराजियात का बिना विधिवत् विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हो गया ऐसी अवस्था में दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद नंबर 1 मे वर्णित तथ्य जिस प्रकार से तहरीर किये गये है स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी मे वादी का हिस्सा 27/32 व उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 का 5/64 व उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 2 का 5/64 हिस्सा है इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे वादी व उत्तरदातागण दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का यह कहना गलत है कि पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज है अपितू उत्तरदातागण वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सीडी भाग मे काबिज है। वाद पत्र का मद नंबर 2 मे वर्णित तथ्य मे कृषि भुमि को सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजी को संबोधित किये जाने मे उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नही है। वाद पत्र का मद नंबर 3 मे वर्णित तथ्य मनगढंत कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नंबर 4 में वर्णित तथ्य मनगढंत कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नही है। उत्तरदातागण ने वादी को कोई धमकी नही दी अपितू उत्तरदातागण वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सी डी भाग पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद पत्र का मद नंबर 5 मे वर्णित तथ्य वाद कारण दिनांक 3.7.2024 को उत्पन्न होना मनगढंत कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नंबर 6 मे वर्णित तथ्य मनगढंत कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नंबर 7 मे वर्णित तथ्य वाद कारण मनगढंत कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नंबर 8 कानूनी है जवाब मोहताज नही है माननीय

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय खुद के गौर तलब है। वाद पत्र का मद नंबर 9 कानूनी है जवाब मोहताज नही है माननीय न्यायालय खुद के गौर तलब है। वाद पत्र का मद नंबर 10 कानूनी है जवाब मोहताज नही है माननीय न्यायालय खुद के गौर तलब है। वाद पत्र के अनुतोष का मद नंबर क ख ग मे वादी द्वारा उत्तरदाता के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उत्तरदातागण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 5.12. 2011 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 841/3 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाकै जयरामपुरा का 5/32 भाग संयुक्त रूप से वेल्युबल कंसीडरेसन मनी वादी को देकर बरूबरू गवाहान राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम रैगर, राजेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल कय किया व वादी ने वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सी डी भाग पर रामकुमार पीपलोदा वार्ड पंच, सुवालाल सरपंच, पप्पूराम रैगर, कानाराम जाट व राजेन्द्र कुमावत की मौजूदगी मे उत्तरदातागण को कब्जा संभलाया। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 5.12.2011 का अमल राजस्व रिकार्ड मे होकर उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 का 5/64 हिस्सा व उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 2 का 5/64 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सी डी भाग पर वायर फैन्सिंग हो रखी है, गेट लगा हुआ है पेड लगे हुये है पत्थर रखे हुये है उत्तरदातागण का रहवास है। वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सी डी भाग उत्तरदातागण को दिया जाकर वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर उत्तरदातागण व वादी का खाता व लगान अलग कायम किया जाता है तो उत्तरदातागण को काई आपत्ति नही है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र से सलंग्न नक्शे मे मार्क ए बी सी डी भाग उत्तरदातागण को दिया जाकर वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर उत्तरदातागण व वादी का खाता व लगान अलग कायम किया जाता है तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त नियमानुसार दिनांक 12.05.2025 को तनकीयात् कायम की गई।

1. आया खाता संख्या 248 पुराना 239 हाल खसरा नम्बर 841/3 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जावें?

...वादी

2. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

.....वादी

3. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] जी खसरा नम्बर 841/3 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा [illegible] भाग संयुक्त रूप से वेल्यूबल कंसीडरेशन मनी वादी को दे[illegible] किया व वाद पत्र में संलग्न नक्शें में मार्क ए.बी.सी.डी [illegible]कुमार वा[illegible] सुवालाल सरपंच, पप्पूराम रैगर, कानाराम जाट, राजेन्द्र कुमा[illegible] है अतः संलग्न नक्शे में मार्क ए.बी, सी, डी भाग प्रति[illegible] अलग खाता व लगान कायम किया जावे?

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादी–1, 2

4. अनुतोष

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादी एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नही किये अतः साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। हमने विद्वान अधिवक्तागण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की गई :–

1. आया खाता संख्या 248 पुराना 239 हाल खसरा नम्बर 841/3 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जावें?
...वादी
2. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?
.....वादी
3. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2011 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 841/3 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा का 5/32 भाग संयुक्त रूप से वेल्यूबल कंसीडरेशन मनी वादी को देकर गवाहान राजेन्द्र, राजेश ने क्रय किया व वाद पत्र में संलग्न नक्शें में मार्क ए.बी.सी.डी भाग पर राजकुमार वार्डपंच, सुवालाल सरपंच, पप्पूराम रैगर, कानाराम जाट, राजेन्द्र कुमावत की मौजूदगी में कब्जा संभलवाया है अतः संलग्न नक्शे में मार्क ए.बी, सी, डी भाग प्रतिवादी 1, 2 को दिया जाकर अलग खाता व लगान कायम किया जावे?
.........प्रतिवादी–1, 2

उक्त सभी तनकीया एक साथ निर्णित की। चूकि वादी ने भी कोई साक्ष्य शहादत नहीं करवाई है तथा प्रतिवादी ने भी कोई साक्ष्य शहादत नहीं करवाई है चूकि वाद बंटवारे का है तथा बंटवारा होना है अतः तनकी संख्या 1,2 व 3 को आंशिक साबित होने से वाद वादी कब्जे–काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर मे स्थित आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या नया 248 पुराना 239 हाल खसरा न. 841/3 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर का राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर कब्जे–काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार के आधार पर उभयपक्ष को नोटिस देकर विभाजन कुर्रेजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर शीघ्र इस न्यायालय में भिजवाने हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा क्रमांक [illegible]/4139 दिनांक 29.09.2025 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव भेजे [illegible] आपत्ति एवं बहस हेतू समय दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने मुख्य आपत्ति जाहिर की है कि उनके द्वारा किये गये फेंसिग वाले हिस्से को वादी के पक्ष में प्रस्तावित किया तथा प्रार्थी को नोटिस भी नही दिया है। हमने पत्रावली एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी ने उक्त आपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया मात्र मौखिक आधार पर आपत्ति जाहिर की है। पत्रावली से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व नियमों के तहत प्रकिया अपनाई गई है। कुर्रेजात प्रस्ताव विभाजन राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति के अनुसार न्यायसंगत है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मे कोई सार प्रतीत नही होता है और न ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर सके जो तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्तावों को दोषपूर्ण सिद्व कर सके। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 23.01.2026 को खारिज किया जाता है तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 843/1/1 रकबा 0.2700 हैक्टेयर रहेगी।
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र भागीरथप्रसाद हिस्सा 1/2 जाति रैगर सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 843/1/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 57/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 10.07.2024

प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम जाति ढालाई निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथप्रसाद जाति रैगर निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
4. उप पंजीयक, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री मोहनलाल जाट – वादी की ओर से
(2) श्री श्याम सुंदर खण्डेलवाल – प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 843/1/1 रकबा 0.2700 हैक्टेयर रहेगी।
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र भागीरथप्रसाद हिस्सा 1/2 जाति रैगर सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 843/1/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न [illegible] निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया [illegible] में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय [illegible] हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.02.2026 को जारी किया।

Scanned with OKEN Scanner

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ACM आमेर (मु. ५५५८)

फर्द अहकाम

हनुमान बनाम ओमप्रकाश

ालय

ा 57/24 धारा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वादी ने बहस हेतु समय चाहा। आ. तां. पेशी पर उभयपक्ष बहस करें दिनांक 18/02/2026 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
18/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी उप। वास्ते बहस दिनांक 24/2/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
24/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप। उभयपक्ष की बहस आपत्ति/कुर्रेजात पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/2/26 को पेश हो। [signature]	
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश पारित नहीं किये गये अतः वास्ते आदेश दिनांक 27/02/26 को पेश हो। [signature]	
27/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रा.प्र. सारहीन होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी जयपुर से प्राप्त कुर्रेवाल के आधार पर व[illegible] जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] लिखवाया गया। (प[illegible]) दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner